(45)

झारखण्ड सरकार
राज्य ग्रामीण विकास संस्थान
हेहल, राँची।

निविदा संख्या – 08/2016-17

नियम एवं शर्तें

1. निविदा कागजात बिक्री की राशि की वापसी नहीं की जायेगी।
2. निविदा अलग–अलग (तकनीकी एवं मूल्य बीड) को सीलबंद लिफाफे में समर्पित करना होगा।
3. निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करना है जिसमें यह उल्लेख होगा कि उन्हें/उनके फर्म को किसी सरकारी कार्यालय/बोर्ड/निगम के द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
4. निविदादाता को अद्यतन बिक्री कर रिटर्न, आयकर रिटर्न, तकनीकी बीड में देना अनिवार्य है।
5. तकनीकी बीड के अन्तर्गत निविदादाता द्वारा समर्पित किये गये कागजातों का मूल्यांकन क्रय समिति के द्वारा किये जाने के उपरांत ही मूल्य बीड खोला जायेगा।
6. निविदादाता को कम–से–कम विगत तीन वर्षो में रु० 50,00,000/– (पच्चास लाख) प्रति वर्ष का टर्न ओवर का प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
7. निविदादाता को रु० 1,00,000/– (एक लाख) मात्र का अग्रधन, बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, राँची के नाम से जमा करना होगा।
8. निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त मुहरबंद निविदा पर ही विचार किया जायेगा।
9. सफल निविदादाता को आपूर्ति आदेश की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा।
10. आपूर्ति आदेश देते समय सामानों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
11. आवश्यवकतानुसार केवल L1 निविदादाता से ही Negotiation किया जा सकता है।
12. निविदा पत्र क्रय करने के प्रमाण स्वरूप नाजीर रसीद की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
13. सभी Document नॉटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिये।
14. किसी भी स्तर पर निविदा रद्द करने का अधिकार महानिदेशक/निदेशक, सर्ड को होगा।

महानिदेशक
राज्य ग्रामीण विकास संस्थान,
हेहल, राँची।